न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

परिवाद पत्र संख्या:– 11/1989

पीठासीन अधिकारी : युगांतर शर्मा (आर.ए.एस.)

चौथमल पुत्र श्री गोविन्दराम (मृतक)।

1/1 बद्रीनारायण पुत्र चौथमल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा, तहसील –जयपुर।

1/2 रतन देवी पत्नी चौथमल (मृतका)

1/2/1 बद्रीनारायण पुत्र चौथमल एवं रतन देवी (उक्त 1/1) निवासी–ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा, तहसील–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–जयपुर।
2. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल, जाति–ब्राहम्ण (मृतक)
   2/1 हरिनारायण पुत्र श्यामलाल
   2/2 मु0 लक्ष्मा पत्नी श्यामलाल (मृतका)
   2/2/1 हरिनारायण पुत्र श्यामलाल एवं लक्ष्मा (उक्त 2/1), जाति–ब्राहम्ण, निवासी–कुकरखेडा उर्फ महापुरा, तहसील–जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील–तहसीलदार आदेश दिनांक 10.07.1966
नामान्तरकरण संख्या 1, खसरा संख्या 6
रकबा 1/3 वाके मौजा महापुरा

निर्णय **दिनांक : 28.06.2019**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम महापुर उर्फ कुकरखेडा के हाल खसरा संख्या 68 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का नामान्तरकरण रा0का0अधि0 की धारा 15 के तहत कब्जे के आधार पर दर्ज पर प्रस्तुत करने पर तत्कालीन तहसीलदार, जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1 पर यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया गया था कि श्री चौथमल के पास 43 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी है जो कि सिलिंग हेतु निर्धारित रकबे से ज्यादा है। चौथमल ने सवंत् 2016 में नाजायज कब्जा किया है जिसके विरू[illegible] [illegible]ी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहॉ अपील, माननीय न्यायाल[illegible] [illegible] अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या एक के संबंध में तहसीलदार का [illegible] खण्डित कर ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा के खसरा नम्बर 68 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा [illegible] अधिपत्य को नियमन [illegible]या। इस निर्णय की अपील प्रत्यार्थी (रेस्पोडेन्ट श्यामलाल द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के यहॉ निगरानी पेश की गई निगरानी निर्णय अनुसार पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:49:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

के समस्त निर्णय अपास्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड किया गया।) उभयपक्ष को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर उभयपक्ष द्वारा अपने पक्ष पुष्टि हेतु दस्तावेजात एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी अनुसार रजिस्टर चकबंदी में खसरा संख्या (गत) 21/1/2, 21/4, 21/2/15, 21/5, 21/1/16, 21/1/6, 21/9 का चकदार चौथमल पुत्र गोविन्द नारायण है। खसरा गिरदावरी संवत् 2000 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2005 से बाद की गिरदावरी में भी चौथमल पुत्र गोविन्दनारायण का नाम अंकित है। भू-प्रबन्ध संवत् 2015-2034 में गत खसरा संख्या 21 किन से बने हाल संख्या 68 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा सिवायचक गलत दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1 पर सिलिंग भूमि के संबंध में भी गलत व्याख्या करते हुए तथ्यो व नियम का ध्यान नही रखा गया। इसलिए अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1 स्वीकृत किया जावे। रेस्पोडेन्ट श्यामलाल द्वारा अपीलार्थी का कब्जा संदर्भित भूमि पर नही होना अपितु रेस्पोडेन्ट का होना जोर इस आधार पर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.12.1965 द्वारा रेस्पोडेन्ट श्यामलाल पुत्र मांगीलाल (हरिनारायण के पिता) के नाम खातेदारी दर्ज करने का निर्णय हुआ जिसकी पालना में नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया गया परन्तु रिकॉड में अमल नही किया गया। अपील द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्राप्त खातेदारी अधिकार को निरस्त नही किया जा सकता। विवादित आराजी के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 130 दर्ज किया जाकर भूमि रिकॉड में जविप्रा के नाम अंकित कर दी गई जिसके विरूद्व अपील भी विचाराधीन होने संबधित तथ्य अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस ध्यान में लाया गया। पत्रावली का अवलोकन कर लिखित बहस उभयपक्ष पर मनन करने के बाद यह पाया कि नामान्तरकरण संख्या 1 को निर्णित करते वक्त कब्जा एवं सिलिंग सीमा से अधिक या कम की भूमि होने के संबंध में विस्तृत जांच नही की गयी न ही कब्जे के संबंध में अन्य किसी पक्षकार, गलत सिवायचक दर्ज करने संबंधी तथ्य की जॉच भी तहसीलदार द्वारा नही की गई। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 1 ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा पर अंकित नोट एवं तहसीलदार के निर्णय को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 1 तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड किया जाता है कि वे सभी पक्षकारान यथा अपीलार्थी, प्रतिवादी व जविप्रा को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व के उपलब्ध रिकोर्ड, गत गिरदावरी, नामान्तरकरण संख्या 51, नामान्तरकरण संख्या 130, विवादित अराजीयात् के संबंध में पारित गत न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए नामान्तरकरण संख्या 1 को पुनः निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो। दर्ज नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 28.6.19 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:49:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर पश्चिम, जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। तहसीलदार
जयपुर को अपील रिकार्ड की जाकर विस्तृत
निर्णय इस्पर से लिखनाया जाकर शामिल मिसल
किया गया है। पत्रावली फैसल-शुमार, नम्बर से
कम हो। निर्णय खोर ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:49:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner